



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 पटना, बुधवार, 18 भाद्र 1948 (श0)
9 सितम्बर 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-03	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 04-10
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 11-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2026

सं० I/488957/2026—श्रीमती प्रतिभा किशोर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहारशरीफ (HRMS-Employee Id-30060922) को स्वयं के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1171 (23) दिनांक 21.07.2026 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 05.02.2026 से 27.02.2026 तक उनके द्वारा उपभोगित कुल 23 (तेईस) दिनों के उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपाजित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 04.02.2026 तक 127-23=104 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह
अपर सचिव—सह—अपर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

31 अगस्त 2026

सं०-भवन/स्था०-01-पद०-103/2017/8106(म)—श्री रमेन्द्र कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता (बिहार स्टेट पॉवर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना से प्रतिनियुक्त), विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना भवन निर्माण विभाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए मुख्य विद्युत् अभियंता-02, भवन निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नीरज कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

उद्योग विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

28 अगस्त 2026

सं० 1783—अधोहस्ताक्षरी मैं प्रधुम्न सिंह यादव, भा०प्र०से० (2023), आज दिनांक—28.08.2026 के अपराह्न में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—1/पी.—1001/2026— सा.प्र.—15422, दिनांक—22.08.2026।

आदेश से,
प्रधुम्न सिंह यादव,
भारग्राही पदाधिकारी।

BIADA

“प्रभार प्रतिवेदन”

31 अगस्त 2026

सं० 4042—अधोहस्ताक्षरी मैं, अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (2004), सचिव, उद्योग विभाग—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना के पद का प्रभार आज दिनांक 31.08.2026 के पूर्वाह्न में स्वतः त्याग करता हूँ।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—1/अ०—413/2007 —सा०प्र०— 14504, दिनांक 11.08.2026 द्रष्टव्य।

आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
भारत्यागी पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 25—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 970—मैं, मो० सारिक पिता—सलाहद्दीन साकिन—कौरा, थाना—मोरकाही, पो०—मारर, जिला खगड़िया बिहार 851205, शपथ—पत्र सं० 478 दिनांक—16.12.2025 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मो० सारिक अंकित है। मेरे 10वीं के अंक पत्र में मेरा नाम मो० सारिक इकबाल (Md Sharik Ikbal) अंकित है। मो० सारिक एवं मो० सारिक इकबाल दोनों एक व्यक्ति का नाम है। यह है कि मेरा सही नाम मो० सारिक इकबाल है अब मैं मो० सारिक के जगह पर मो० सारिक इकबाल (Md Sharik Ikbal) के नाम से ही सभी कार्यों के लिए जान व पहचाना जाऊँगा।

मो० सारिक।

No. 969—I, Vavita Kumari, W/o Ganesh Kumar R/o Bala Bigha, Mirjapur, Telhara, Nalanda, Bihar-801306 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2021, dt. 10.04.2026 that my name is mentioned in my Aadhar Card as Babita Kumari where as in Pan Card, B.S.E.B. Class 10th and 12th educational documents as Vavita Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Vavita Kumari for all purposes.

VAVITA KUMARI.

No. 954—I, RAVINDRA KUMAR PASWAN, S/o.—Dharmendra Kumar Ram, R/o—Gorapa, Anchal—Agiaon, Distt.—Bhojpur, Bihar-802201. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (SNEHA KUMARI) birth certificate her name is mentioned as SNEHA KUMARI. But, in her Aadhar as well as in her school her name is mentioned as KUMARI SNEHA. Here, both the names belong to the names of the same daughter. And, from now in her future she will be known as **SNEHA KUMARI** for all her legal purposes. Affidavit no.—485 Date:- 09/03/2026.

RAVINDRA KUMAR PASWAN.

सं० 955—मैं, मोहम्मद शरफुद्दीन वल्द मोहम्मद निजामउद्दीन, निवासी- बड़ी मस्जिद की गली, आलमगंज थाना के सामने, पो.-गुलजारबाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार शपथ पत्र सं.- 2875, दिनांक 28.07.2026 द्वारा सूचित करता हूँ कि मुन्तहा निजामी (Muntaha Nizami) मेरी नाबालिग पुत्री है उसके आधार कार्ड में भूलवश मनतसा निजामी (Mantasha Nizami) अंकित हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र में उसका सही नाम मुन्तहा निजामी (Muntaha Nizami) है। मेरी पुत्री भविष्य में मुन्तहा निजामी (Muntaha Nizami) के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

मोहम्मद शरफुद्दीन वल्द मोहम्मद निजामउद्दीन।

No. 956—I, ANITA DEVI, W/o—Raj Kumar Ray, R/o—Ganw-Jethuli, Post-Kachchi Dargah, Fatwah, Patna Bihar-803201. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (GAURAV KUMAR) Adhar card his name is mentioned as GOURABH KUMAR. But, in his birth certificate as well as in his admit card of class 10th (CBSE) his name is mentioned as GAURAV KUMAR. Here, both the names GOURABH KUMAR and GAURAV KUMAR belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be know as GAURAV KUMAR for all his legal purposes. Affidavit no.—2393, Date: - 09/04/2026.

ANITA DEVI.

No. 957—I, SUBHASH CHANDRA S/o Late Suresh Chandra Pathak is resident of Bishop S K Tarafdar Road, Holding No 116, opposite PWD office, Ward No 22 PS Adampur District Bhagalpur Bihar 812001 declare vide affidavit No 2716 dated 05/08/2026 that my son Srestha Raj Kashyap will now be known and recognized by name Aayansh Chandra from date.

SUBHASH CHANDRA.

No. 958—I, SUBHASH Chandra S/o Late Suresh Chandra Pathak is resident of Bishop S K Tarafdar Road, Holding No 116, opposite PWD office, Ward No 22 PS Adampur District Bhagalpur Bihar 812001 declare vide affidavit No 2715 dated 05/08/2026 that my son Siddhant Raj Kashyap will now be known and recognized by name Aaditya Chandra from date.

SUBHASH CHANDRA.

No. 959—I, PRADEEP KUMAR, S/o Chaman Lal, resident of Nepali Kothi, P.O. & P.S.— S.K. Puri, District - Patna-800001, Bihar, hereby declare that in my son Saumitra Matta's Matric and Inter-mediate Certificate, my name has been wrongly mentioned as PRADEEP MATTA. Ifurther declare that my correct name is PRADEEP KUMAR, which is mentioned in my Aadhar Card. Henceforth, I will be recognized as Pradeep Kumar for all intents and for all purposes. Affidavit no. 726 date 04.12.2025.

PRADEEP KUMAR.

No. 960—I, PRADEEP KUMAR, S/o Chaman Lal, resident of Nepali Kothi, P.O. & P.S.— S.K. Puri, District - Patna-800001, Bihar, hereby declare that in my son Raghav Matta's Matric and Intermediate Certificate, my name has been wrongly mentioned as PRADEEP MATTA. I further declare that my correct name is PRADEEP KUMAR, which is mentioned in my Aadhar Card. Henceforth, I will be recognized as Pradeep Kumar for all intents and for all purposes. Affidavit no. -558 date 03.1.2026

PRADEEP KUMAR.

No. 961—I, VENY Logani, W/o Pradeep Kumar resident of Nepali Kothi, P.O. & P.S.— S.K. Puri, District - Patna-800001, Bihar, hereby declare that in my son Saumitra Matta's Matric and Inter-mediate Certificate, my name has been wrongly mentioned as VENY MATTA. I further declare that my correct name is Veny Logani, which is mentioned in my Aadhar Card. Henceforth, I will be recognized as Veny Logani for all intents and for all purposes. Affidavit no. -728 date 04.12.2025

VENY LOGANI.

No. 963—I, Binod Rai S/o Vidhya Dhar Rai R/o Village+P.O- Arjunpur Buxar, Bihar-802116 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-492 dt. 06.03.2026 that my name is written in my Aadhar Card as Vinod Rai. In Pan Card written as Binod Rai. Both names are same and one person. From Now I shall be known as Binod Rai for all purposes.

BINOD RAI.

No. 964—I, Bhim Manjhi, S/o Balkishun Manjhi, R/o Vill.- Jhirwa, P.O.- Jhirwa, P.S.- Uchkagaon, Distt.- Gopalganj (Bihar) vide affidavit No. -34 date 17.7.26 declared that my name Bhim Maji registred on my Aadhar card which is wrong. My correct name is Bhim Manjhi as recorded in my Pan card. From now I will be known and Recognized as Bhim Manjhi for all purposes in the future.

BHIM MANJHI.

सं० 966—मैं, मिनता देवी, पति—शिवशंकर बिन्द, निवास—करन बिगहा, पो०—शंकरडीह, थाना—परबलपुर, जिला—नालंदा—803114, शपथ—पत्र सं०—2538 ता० 09/07/2026 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में रुबी कुमारी है, जो गलत है। मेरी पुत्री का सही नाम प्रिति कुमारी (Priti Kumari) है, भविष्य में अब मेरी पुत्री प्रिति कुमारी के नाम से जानी एवं पहचानी जायेगी।

मिनता देवी।

सं० 967—मैं, बबीता देवी, पति -बिकास कुमार पासवान, ग्राम+ पोस्ट - नौला, वार्ड नं. - 09, थाना - वीरपुर जिला - बेगूसराय घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. - 8493 5785 3202 में भूलवश इसका नाम स्मिता कुमारी दर्ज हो गया है। उसका वास्तविक नाम अस्मिता कुमारी है। श.प.सं. 1006/21.02.26

बबीता देवी।

No. 968—I, Lata Kumari D/o Chandra Deo Mahto R/o Jai Prakash Nagar, P.S.-Rajiv Nagar P.S.-Ashiana Nagar, Distt.-Patna (Bihar)-800025 vide Affidavit No. 655 date 5.8.26 do hereby solemnly affirms and declare that Shubham Kumar Singh is my Son. That in my son All educational documents my name is written as Sheela Devi which is wrong. That in my Adhar card my name is written as Lata Kumari. That my correct name is Lata Kumari.

LATA KUMARI.

No. 971—I, Sudhir Kumar S/o Arvind Thakur, R/o Magadh Colony, Sadaquat Ashram, Kurji, P.O - Digha, Distt.-Patna (Bihar)-800010 vide affidavit No.-5686 dt. 05.05.2026 My daughter. Shrishty Kumari will be known as Avanya Kumari for all purposes.

SUDHIR KUMAR.

No. 972—I, Prabha Kumari, W/o Kuldip Prasad, R/o Merhkuri, Nawada-805122, Bihar do hereby declare that my daughter's name has been mentioned in her Birth Certificate as Gudiya Kumari which is true and correct and in Aadhar Card mentioned as Bebi Kumari which is wrong. Both names are same and one person. From now she shall be known as Gudiya Kumari for all purposes. Aff. No.-17043, dt. 23.07.2026.

PRABHA KUMARI.

No. 973—I, Saurabh Kumar Singh S/o Sachita Nand Singh R/o Vill. + P.O.- Sisradh, P.S.-Rajpur, Distt.-Buxar, Bihar-802122 vide affidavit No.-2986 dt. 22.05.26 do hereby solemnly affirm and declare that Sudhanshu Singh is my son. CBSE class 10th marksheet his name written as Shudhanshu Kumar. That Aadhar card his name is written as Sudhanshu Singh. That Sudhanshu Singh and Shudhanshu Kumar both are same and one person. That from now he will be known as Sudhanshu Singh for all purposes.

SAURABH KUMAR SINGH.

No. 974—I, Manish Kumar S/o Mohan Ray, R/o Madhopur, Maner, Patna, Bihar-801108 do hereby declare that name of my Son's name is written in his Aadhar card as Aniket Kumar. In Birth certificate and CBSE Class 10th educational documents written as Pritam

Kumar. Both names are same and one person. From now he will be known as Pritam Kumar for all purposes. Aff. No.-372 dt. 04.07.26

MANISH KUMAR.

सं० 975—मैं, संतोष कुमार, पिता श्री सिफेत लाल यादव, निवास ग्राम- तुर्की, पो.- भटौनी, थाना- सिमरी बख्तियारपुर, जिला - सहरसा (बिहार) । शपथ पत्र सं.- 3179 दि. 8. 7.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि कुमार शुभम मेरा पुत्र है। आधार कार्ड में पुत्र का नाम शुभम कुमार अंकित है, जो गलत है। मेरे पुत्र का सही नाम कुमार शुभम है।

संतोष कुमार।

No. 976—I, **RAKESH KUMAR**, S/o—Madan Singh, R/o—Fatehpur, P.O—Fatehpur, Dist.—Patna, Bihar- 803206. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (BAIBHAV KUMAR) Aadhar card his name is mentioned as BAIBHO KUMAR. But, in his school his name is mentioned as BAIBHAV KUMAR. Here, both the names belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as **BAIBHAV KUMAR** for all his legal purposes. Affidavit no.— 3457 Date:-12/06/2026

RAKESH KUMAR.

सं० 977—मैं, रीता देवी, पति- बबलू पासवान ग्राम+ पोस्ट नौला, थाना वीरपुर जिला- बेगूसराय घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं.- 2249 3423 2704 में भूलवश इसका नाम समर कुमार दर्ज हो गया है। उसका वास्तविक नाम श्रवण कुमार है। श.प.सं. 1005/21.02.26

रीता देवी ।

No. 978—I, **FATIMA FARHEEN**, D/o- Md Mujtahid R/O.-Deora Bandhauli, P.O.- Bandhauli, P.S.- Jalley, District- Dharbhanga, Pin- 817303 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 3089 date 29.05.26. That B.S.E.B. Class 10th all educational document my name written as Fatma Farheen. That intermediate Education Document my name is written as Fatima Farheen. That Fatma Farheen and Fatima Farheen both are same and one person. That from now I will be known as **Fatima Farheen for all future purpose.**

FATIMA FARHEEN.

सं० 979—मैं अमर नाथ यादव, पिता मोतीलाल यादव, पजा सुमेरा, पो.-मखदुमपुर, थाना- परासी, जिला-अरवल, बिहार शपथ पत्र सं.-1048, दिनांक 08.06.2026 द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अमरनाथ यादव Amarnath Yadav अंकित हो गया है जो गलत है। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र में अमर नाथ यादव (Amar Nath Yadav) अंकित है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हूं। आगे भविष्य में सभी कार्य हेतु अमर नाथ यादव (Amar Nath Yadav) नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

अमर नाथ यादव ।

No. 980—I, MINHAZ ALAM, S/o –Sahabuddin Ansari, R/o –Village Kathara, Thana-Sakatpur, District-Darbhanga vide Affi. No. 25986/09.07.2026 declare that in my aadhar my name is Md. Minhaz whereas my actual name is Minhaz Alam as per my educational Certificates and this name will be used for all future purposes.

MINHAZ ALAM.

सं० 980—मैं, मिनहाज आलम, पिता—शहाबुद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम—कटहारा, थाना—सकतपुर, जिला—दरभंगा, शपथ—पत्र संख्या—25986, दिनांक 09/07/2026 घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार में मेरा नाम Md Minhaz (मो० मिनहाज) है जबकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के अनुसार मेरा वास्तविक नाम मिनहाज आलम (Minhaz Alam) है और भविष्य में सभी कार्यों के लिए इसी नाम का उपयोग किया जाएगा।

मिनहाज आलम।

सं० 982—मैं, कुमारी रीना, पुत्री - ललित कुमार राम, ग्राम - खराटी, पोस्ट - कुड़डी, थाना - चांद, कैमूर (भभुआ), बिहार 821106, घोषणा करती हूँ कि कुमारी रीना, रीना, KM. REENA मेरा ही नाम है जो मैं स्वयं हूँ। अब मैं भविष्य में कुमारी रीना (KUMARI REENA) नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी। शपथ पत्र संख्या - 103/20.08.2026

कुमारी रीना।

No. 985—I MD inteshar alam S/o Md Jamir Uddin Vill+Post-Chaknawada Ps-Dalsinghsarai Dist Samastipur by Affidavit no. 6835 dated 18.08.2026 declare that in my Aadhar my name is wrongly mention as chand babu which is wrong. While my actual name is md inteshar alam.

MD INTESHAH ALAM.

सं० 985—मैं मो० इन्तेशार आलम, पिता—मो० जमीर उद्दीन ग्राम+पोस्ट चकनवादा थाना दलसिंहसराय जिला—समस्तीपुर शपथ—पत्र संख्या—6835, दिनांक 18.08.26 से कहना है कि मेरे आधार में मेरा नाम भूलवश चांद बाबू दर्ज है जो गलत है। मेरा वास्तविक और सही नाम मो० इन्तेशार आलम ही है।

मो० इन्तेशार आलम।

No. 986—I, hither to known Rambhavati, Devi W/o Late- Ganga Pandey residing at 3kh Dakshini Gali Mahatma Gandhi setu Gaighat Patna City Gulzarbagh, Patna Bihar-800007 have changed my name and shall hereafter be known as Rambha Devi. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. Aff. No. 4788 dt. 01.08.26.

HITHER TO KNOWN RAMBHAVATI.

No. 987—I, Shambhu Kumar Singh S/o Valeshwar Mahto, R/o Ward No.-09, Mohiuddipur, Rajwa, Samastipur, Bihar-848131 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3751 dt. 23.06.2026 that Aman Kumar is my son. His name is written in his Aadhar Card as Oman Kumar. In School Id his name is written as Aman Kumar. Both names are same and one person. From now he will be known as Aman Kumar for all purposes.

SHAMBHU KUMAR SINGH.

सं० 989—मैं, जुबैर अहमद, पिता—स्व० एम. ए. एच. अंसारी निवासी मकान नं 106, वार्ड नं 3, ग्राम—सोहसा, थाना मेंहदिया जिला—अरवल (बिहार) पिन-824127 शपथ पत्र सं.-15, दिनांक-23.07.2025 द्वारा घोषणा करता हूँ कि आज से मुझे जुबैर अहमद के स्थान पर, डॉ. जुबैर अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

जुबैर अहमद।

सं० 988—मैं, नूजहत अफताब (Nuzhat Aftab) उर्फ नजहत आफताब (Nazhat Aftab) पिता-आफताब आलम, साकिन बेलवा, वार्ड संख्या-08 पोस्ट-बेलवा, थाना-साठी, जिला-प. चम्पारण बिहार शपथ पत्र सं. 18809 दि. 12.06.26 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नूजहत अफताब (Nuzhat Aftab) दर्ज है जबकि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम नजहत आफताब (Nazhat Aftab) दर्ज है, जो सही है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। आगे भविष्य में मैं नजहत आफताब (Nazhat Aftab) के नाम से जानी वे पहचानी जाऊंगी।

**नूजहत अफताब (Nuzhat Aftab) उर्फ
नजहत आफताब (Nazhat Aftab).**

सं० 999—मैं, रंजन कुमार, पिता-स्व० शशि शेखर सिंह, निवासी ग्राम+पोस्ट-अलावलपुर, थाना-गौरीचक, जिला-पटना निम्नलिखित बातों का निष्ठा पूर्वक घोषणा शपथ-पत्र सं०-9329, दिनांक 18/10/2025 के द्वारा घोषणा करता हूं कि इच्छा कुमारी मेरी पुत्री है। उसके आधार कार्ड में उसका नाम इच्छा सिंह दर्ज है अब वह सभी कार्य एवं उद्देश्यों हेतु इच्छा कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

रंजन कुमार।

No. 1000—I, Sunaina Kumari W/o-Uday Sah R/o-Jorpura, Ward No.-7, Samastipur Jorpura, Distt.-Samastipur, Bihar 848204 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3546 dt. 16.06.2026 that my name is written in my N.I.O.S. Class 10th marksheet as Sunina Kumari which is wrong. Whereas in Aadhar Card, Pan Card my correct name is written as Sunaina Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Sunaina Kumari for all purposes.

SUNAINA KUMARI.

सं० 1001—मैं पिकी कुमारी, पति - अमित राय, निवास ग्राम-रघुनाथपुर, थाना - साहेबपुर कमाल, जिला - बेगूसराय शपथ पत्र सं. 1075 ता. 10.07.2026 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि अनुभव कुमार मेरा पुत्र है उसके आधार कार्ड में उसका नाम अनिभव कुमार (Anibhav Kumar) दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरे पुत्र का सही नाम अनुभव कुमार (Anubhav Kumar) है।

पिकी कुमारी ।

No. 962—I, Sanjay Prasad S/o Ganesh Mahto R/o vill.+P.O.-Jamuaon, P.S.-Warisliganj Distt.-Nawada, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1312 dt. 13.12.25 that my name is written in my Aadhar card as Sanjay Prasad. In Voter Id written as Sanjay Mahto. Both names are same and one person. From now I will be known as Sanjay Prasad for all purposes.

SANJAY PRASAD

No. 1003—I, Vikas Kumar S/o Shivnath Choudhary R/oVill-Kachahri Road Dhala, Ward No.-01/06, P.O+P.S.-Saharsa, 852201 do hereby declare that my name has been mentioned in Bihar-my son Ayush Kumar;s C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Vikash Kumar. In Aadhar Card written as Vikas Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Vikas Kumar for all purposes. Aff. No.-884 dt. 10.08.2026

VIKAS KUMAR.

सं० 1002— मैं रंजू देवी, पति-महेन्द्र राम, निवासी-अमरपुर नयाटोला, पटनासिटी, थाना-मेंहदीगंज, पटनासिटी, जिला- पटना-800008, बिहार शपथ पत्र 1901, दिनांक 13.05.2026 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रंजू देवी (Ramju Devi) अंकित है जो गलत है। मेरा सही नाम रंजू देवी (Ranju Devi) है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हूँ। भविष्य में रंजू देवी (Ranju Devi) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

रंजू देवी।

सं० 1006—मैं, दुर्गावती चौधरी, पति-स्वर्गीय सरयू चौधरी, साकिन ग्राम+पोस्ट-जमसौत, थाना-शाहपुर, दानापुर, जिला-पटना की निवासी हूँ, शपथ-पत्र संख्या-6552, दिनांक 07/08/2026 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे स्व०-पति के पी०पी०ओ० में मेरा नाम दुर्गावती देवी है, जो गलत है। मेरी सही नाम दुर्गावती चौधरी है, जो सही है।

दुर्गावती चौधरी।

सं० 1008—मैं दिलीप पासवान, पिता-रामफल पासवान, ग्राम-नवीनगर, पोस्ट-दीपनगर, थाना-दीपनगर, जिला-नालान्दा, पिन कोड-803111, वर्तमान पता-कर्वानं० 275, ऑफिसर्स कॉलोनी, हरितिमा पथ, सोनपुर, सारण पिन कोड- 841101, राज्य-बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ-पत्र सं० 4576, दिनांक 25.8.2026 के द्वारा निम्नलिखित बयान करता हूँ कि यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का स्थायी निवासी हूँ। यह कि मेरा आधार कार्ड संख्या-5585 4965 7020 है जिसपर मेरा नाम दिलीप पासवान (Dilip Paswan) दर्ज है। यह कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में एवं आधार कार्ड में मेरा नाम दिलीप पासवान (Dilip Paswan) अंकित है जो सही है। यह कि अब मैं अपना उपनाम पासवान के जगह कुमार जोड़ना चाहता हूँ। यह कि भविष्य में मैं दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

दिलीप पासवान।

सं० 1009—मैं, अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti), पिता-अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-रुसुलपुर मोबारक, पोस्ट-भान बोरहॉ, थाना-महुआ, जिला-वैशाली, राज्य-बिहार, पिनकोड-844122 का निवासी हूँ और शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti) और अशोक कुमार क्रान्ति (Ashok Kumar Kranti) दोनों एक ही व्यक्ति है, जो कि मैं हूँ। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड में मेरा नाम अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti) है तथा एकेडमिक में अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti) एवं अशोक कुमार क्रान्ति (Ashok Kumar Kranti) दोनों है। अब मैं भविष्य में अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा। शपथ-पत्र संख्या 9813, दिनांक 19/08/2026।

अशोक क्रान्ति (Ashoke Krantti).

No. 1010—I, Shambhu Kumar S/o - Late Jagdish Prasad R/o village -Basiyawan P.O- Kalyanpur P.S - Pipra (Punpun) Dist -Patna (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as under. That my minor daughter name in Aadhar card written as Sweety. But I want to change my daughter name is Swara. Sweety and swara both are same and one person. That from now she will be known as Swara kumari for all legal purpose. Vide affidavit no 13402 dated-08.06.2026

SHAMBHU KUMAR.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 25—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

24 अगस्त 2026

सं० 6/आ.-32/2026-15556/सा.प्र. श्री राजेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा मिडिया के समक्ष दिया गया आपत्तिजनक वक्तव्य अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-3 के प्रतिकूल है।

2. अतः श्री राजेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. द्वारा आपत्तिजनक वक्तव्य के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3 के उपनियम (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना रहेगा।

5. निलंबन की अवधि में श्री सिंह को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सं० 6/आ.-15/2026-15707/सा.प्र.

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 अगस्त 2026

श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार: 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-05/2025 दिनांक 30.04.2025 के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दर्ज ECIR/PTZO/13/2025 में उल्लेख किया गया है कि श्री रिशु श्री द्वारा कई वरीय पदाधिकारियों का घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा को प्रायोजित किया गया है, जिसमें एक श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा के द्वारा श्री रिशु श्री से 3 लाख रुपया अपनी Aunt रूबी कुमारी शर्मा के बैंक खाता नम्बर-20202858518, भारतीय स्टेट बैंक में प्राप्त करने एवं श्रीमती अभिलाषा कुमार शर्मा के कहने पर रिशु श्री द्वारा इनके संबंधित पूजा कराने का 9.84 लाख रुपया पंडित श्री इन्द्रजीत शर्मा को देने का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-12997 दिनांक 17.07.2026 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्गत कर श्रीमती शर्मा से लिखित बचाव बयान की मांग की गयी। श्रीमती शर्मा से प्राप्त लिखित बचाव अभ्यावेदन दिनांक 11.08.2026 को राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए गठित आरोपों की गहन जाँच के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अंतर्गत महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी एवं निगरानी विभाग द्वारा नामित उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. तदनुसार श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा निगरानी विभाग के उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों में अथवा 10 कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक 10 दिनों के अंदर किसी समय जैसा संचालन पदाधिकारी आदेश दें, उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप-पत्र, अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन एवं साक्षियों के नाम तथा साक्ष्यों/दस्तावेजों की सूची आदि की प्रति के साथ महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सं० 6/आ.-16/2026-15537/सा.प्र.

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

24 अगस्त 2026

श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-05/2025 दिनांक 30.04.2025 के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दर्ज कांड ECIR/PTZO/13/2025 में उल्लेख किया गया है कि श्री रिशु श्री के द्वारा कई वरीय पदाधिकारियों का घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं को प्रायोजित किया गया, जिसमें श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. का भी नाम शामिल है। श्री सागर अपने पारिवारिक सदस्यों और मित्रों को भी विदेशों की यात्रा आयोजित करायी गयी, जिसमें बिचौलियों के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के खातों में रूपयों को ट्रांसफर कराया गया। इस संदर्भ में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-12998 दिनांक 17.07.2026 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्गत कर श्री सागर से लिखित बचाव बयान की मांग की गयी। श्री सागर से प्राप्त लिखित बचाव अभ्यावेदन दिनांक 28.07.2026 को राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए गठित आरोपों की गहन जाँच के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अंतर्गत श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं निगरानी विभाग द्वारा नामित उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. तदनुसार श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा निगरानी विभाग के उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों में अथवा 10 कार्य दिवस के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक 10 दिनों के अंदर किसी समय जैसा संचालन पदाधिकारी आदेश दें स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप-पत्र, अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन एवं साक्षियों के नाम तथा साक्ष्यों/दस्तावेजों की सूची आदि की प्रति के साथ श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सं० 6/आ.-27/2026-14063/सा.प्र.

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 अगस्त 2026

श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-05/2025 दिनांक 30.04.2025 के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दर्ज ECIR/PTZO/13/2025 में उल्लेख किया गया है कि श्री रिशुश्री द्वारा कई वरीय पदाधिकारियों का घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को प्रायोजित किया गया है, जिसमें एक श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा के द्वारा श्री रिशुश्री से तीन लाख रुपया अपनी Aunt श्रीमती रुबी कुमारी शर्मा के बैंक खाता नंबर- 20202858518 भारतीय स्टेट बैंक में प्राप्त करने एवं श्रीमती शर्मा के कहने पर श्री रिशुश्री द्वारा इनके संबंधित पूजा कराने का 9.84 लाख रुपया पंडित श्री इन्द्रजीत शर्मा को देने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार श्रीमती शर्मा द्वारा किया गया कार्य एक लोक सेवक के आचरण के विपरीत है, जो कि अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली-1968 के नियम-3 एवं 16 का सीधा उल्लंघन है।

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा अनुसंधानान्तर्गत होने के कारण सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-9604 दिनांक 30.05.2026 -सह- पठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-9609 दिनांक 30.05.2026 द्वारा निलम्बित किया गया है। निलम्बन की अवधि में श्रीमती शर्मा का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में निर्धारित है।

3. उक्त पदाधिकारी की निलम्बन अवधि के 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत अगले 30 दिनों के लिए जारी रखने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से आवश्यक सम्पुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.12.2015 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014) के निलम्बन की प्रथम समीक्षा निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 23.07.2026 को की गयी। पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित आलोच्य निगरानी वाद की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014) का निलम्बन बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

5. अतः दिनांक 23.07.2026 को आयोजित बैठक में निलम्बन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 2014), तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित का निलम्बन बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सं० 6/आ.-27/2026-14062/सा.प्र.

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 अगस्त 2026

श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-05/2025 दिनांक 30.04.2025 के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दर्ज ECIR/PTZO/13/2025 में उल्लेख किया गया है कि श्री रिशुश्री द्वारा कई वरीय पदाधिकारियों का घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को प्रायोजित किया गया है, जिसमें एक श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको का भी नाम शामिल है। साथ ही पारिवारिक यात्रा के नाम पर उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों को भी विदेशों की यात्रायें आयोजित की गयी, बिचौलियों के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर भी कराया गया। अपने परिचित के खाते में भी पैसों का ट्रांसफर करवाया गया और रिश्तेदारों को भुगतान भी कराया गया। इस प्रकार श्री सागर द्वारा किया गया कार्य एक लोक सेवक के आचरण के विपरीत है, जो कि अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली-1968 के नियम-3 एवं 16 का सीधा उल्लंघन है।

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा अनुसंधानान्तर्गत होने के कारण सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको को तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-9605 दिनांक 30.05.2026 द्वारा निलम्बित किया गया है। निलम्बन की अवधि में श्री सागर का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में निर्धारित है।

3. उक्त पदाधिकारी की निलम्बन अवधि के 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत अगले 30 दिनों के लिए जारी रखने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से आवश्यक सम्पुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.12.2015 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017) के निलम्बन की प्रथम समीक्षा निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक-23.07.2026 को की गयी। पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित आलोच्य निगरानी वाद की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017) का निलंबन बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

5. अतः दिनांक 23.07.2026 को आयोजित बैठक में निलम्बन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री योगेश कुमार सागर, भा.प्र.से. (बिहार : 2017), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना सम्प्रति निलंबित का निलंबन बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 25—571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>